बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

संचिका संख्या :–15 / खा०–15–03 / 14–257(15B) पटना / दिनांक –20/07/2026

आगामी पावन श्रावण मास के शुभ अवसर पर राज्यान्तर्गत विभिन्न जिलो / स्थानो पर श्रावणी मेला का आयोजन किया जा रहा है। श्रावणी मेला के दौरान कॉवरियॉ पथो पर सचालित होने वाले खाद्य प्रतिष्ठानों के नियमित जॉच, साफ–सफाई की व्यवस्था तथा मानक स्तरीय खाद्य पदार्थों की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु राज्यान्तर्गत कार्यरत खाद्य संरक्षा अधिकारियों को निदेशित है कि वे सबंधित जिला के अभिहित अधिकारी के निदेशानुसार प्रतिष्ठानो की नियमित जॉच, संदिग्ध खादय सामग्रियो का नमूना सग्रहण एवं उसकी खाद्य प्रयोगशाला से परीक्षण तथा मेला क्षेत्र मे सदूषित खादय पदार्थो की बिक्री पर अंकुश लगाने हेतु खाद्य सरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 (समय- समय पर यथा सशोधित) के प्रावधानानुसार नियमानुकूल कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगे। उक्त के अतिरिक्त कॉवरियॉ पथों पर संचालित प्रतिष्ठानों का नियमानुसार पजीकरण / अनुज्ञप्ति प्रदान करने का कार्य सबंधित क्षेत्र के खाद्य सरक्षा अधिकारी / अभिहित अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

2 विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला–2026 के अवसर पर बाबा बैधनाथ धाम मेला क्षेत्र के अन्तर्गत बिहार राज्य मे पडने वाले कॉवरियॉ पथो पर सचालित होने वाले खाद्य प्रतिष्ठानो की नियमित जॉच, साफ–सफाई की व्यवस्था, मानक स्तरीय खाद्य पदार्थो की उपलब्धता खाद्य सरक्षा के विषयो पर खाद्य प्रतिष्ठानो मे आई०ई०सी० कार्यक्रम के अन्तर्गत स्टॉल का सचालन तथा दूषित खाद्य पदार्थो पर विशेष निगरानी बनाये रखते हुए सदिग्ध खाद्य / पेय पदार्थो की जॉच खाद्य प्रयोगशाला से कराने हेतु निम्नवत खाद्य सरक्षा अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला–2026 में **दिनांक – 29.07.2026 से दिनांक – 29.08.2026** तक निम्नानुरार की जाती है :–

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम एवं मूल पदस्थापन स्थल / अतिरिक्त प्रभार	श्रावणी मेला अवधि के दौरान प्रतिनियुक्ति स्थल
1	डॉ० प्रवेन्द्र कुमार खाद्य सरक्षा अधिकारी, नालंदा एवं नवादा मोबाईल न० – 8271172474	बॉका जिलान्तर्गत मेला क्षेत्र
2	श्री संजीव कुमार, खाद्य सरक्षा अधिकारी, गया मोबाईल न० – 7061821256	बॉका जिलान्तर्गत मेला क्षेत्र
3	श्री सुमन प्रकाश, खाद्य सरक्षा अधिकारी, अरवल मोबाईल न० – 7004169322	बॉका जिलान्तर्गत मेला क्षेत्र
4	श्री रौशन कुमार सिह खाद्य सरक्षा अधिकारी, रोहतास एव कैमूर मोबाईल न० – 7277907607	बॉका जिलान्तर्गत मेला क्षेत्र
5.	श्री जय प्रकाश गौतम खाद्य सरक्षा अधिकारी, बक्सर एव भोजपुर मोबाईल न० – 7701942920	बॉका जिलान्तर्गत मेला क्षेत्र

6	डॉ० सजय चौधरी, खाद्य सरक्षा अधिकारी, बेगुसराय, सहरसा एव सुपौल मोबाईल नं० – 9631615635	मुगेर जिलान्तर्गत मेला क्षेत्र
7	डॉ० सुदीन कुमार सुमन खाद्य सरक्षा अधिकारी, पटना मोबाईल नं० – 9934426724	भागलपुर जिलान्तर्गत मेला क्षेत्र

3 श्री राजहस कुमार राजहंस, खाद्य संरक्षा अधिकारी, भागलपुर, अतिरिक्त प्रभार बॉका एव कटिहार सपूर्ण मेला अवधि तक भागलपुर तथा बॉका जिला अन्तर्गत मेला क्षेत्र मे भम्रणशील रहकर जिला प्रशासन, भागलपुर एव बॉका/अभिहित अधिकारी, भागलपुर एव बॉका के निदेशानुसार मेला क्षेत्र में खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एव नियम, 2011 मे वर्णित प्रावधानो को लागू कराने हेतु नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगे। साथ ही मेला क्षेत्र मे अवस्थित खाद्य प्रतिष्ठानो का पजीकरण करना सुनिश्चित करेगे।

4 श्री मो० अली गौहर, खाद्य सरक्षा अधिकारी, मुगेर अतिरिक्त प्रभार पूर्णियॉ एव मधेपुरा सम्पूर्ण मेला अवधि मे मुगेर जिलान्तर्गत मेला क्षेत्र मे ही उपस्थित रहकर जिला प्रशासन, मुगेर/अभिहित अधिकारी, मुगेर के निदेशानुसार मेला क्षेत्र में खाद्य संरक्षा एव मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 में वर्णित प्रावधानो को लागू कराने हेतु नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मेला क्षेत्र में अवस्थित खाद्य प्रतिष्ठानो का पजीकरण करना सुनिश्चित करेंगे।

5 उक्त प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारी दिनाक–29 07 2026 के पूर्वाह्न मे संबधित जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय मे योगदान करना सुनिश्चित करेग। कार्य समाप्ति/मेला समापन के पश्चात् मूल आवंटित कार्य क्षेत्र मे योगदान करने हेतु स्वत विरमित समझे जायेंगे।

6 अभिहित अधिकारी, भागलपुर, बॉका एव मुंगेर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला–2026 मे अपने आवटित क्षेत्रान्तर्गत उपस्थित रहकर प्रतिनियुक्ति खाद्य संरक्षा अधिकारियो को आवश्यकतानुसार पेपर स्लीप एव अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे। प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा किये जाने वाले कार्यो का दैनिक प्रतिवेदन तैयार कर, सबधित जिला प्रशासन/खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय, बिहार, पटना को प्रतिदिन उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त मेला क्षेत्र में चलन्त खाद्य प्रयोगशाला वाहन के माध्यम से नियमित रूप से खाद्य नमूनों के विश्लेषण एव खाद्य संरक्षा के विषय पर जन–जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन अभिहित अधिकारी के निदेशानुसार वाहन पर प्रतिनियुक्त तकनीकी कर्मियो/चालक द्वारा किया जायेगा।

7. मेला क्षेत्र अन्तर्गत खाद्य संरक्षा के विषय पर जन–जागरूकता के उद्देश्य से खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा आई०ई०सी० कार्यक्रम के अन्तर्गत "क्या करें और क्या ना करे" के विषय पर कुल–2000 बैनर का प्रकाशन राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के सहयोग से कराया गया है। अतएव अभिहित अधिकारी, भागलपुर, बॉका एव मुंगेर को निदेशित है कि जन–जागरूकता के उद्देश्य से उक्त बैनरो को प्राप्त करते हुए मेला क्षेत्र अन्तर्गत संचालित होने वाले खाद्य प्रतिष्ठानों पर बैनर को अधिष्ठापित कराना सुनिश्चित करेगे। इसके अतिरिक्त खाद्य सरक्षा के मानकों के अनुरूप खाद्य पदार्थो के

विनिर्माण, रख–रखाव एवं साफ–सफाई की व्यवस्था को बनाये रखने के उद्देश्य से खाद्य सरक्षा आयुक्त कार्यालय द्वारा लगभग 2000 खाद्य प्रतिष्ठानों को 02 एप्रन, 10 ग्लव्स, 10 मास्क एव 10 कैप वितरित करने का निर्णय लिया गया है। अतएव संबंधित जिला के अभिहित अधिकारी बी०एम०एस०आई० सी०एल०, पटना के कार्यालय से समन्वय स्थापित कर सामग्रियो को प्राप्त करते हुए मेला क्षेत्र में खाद्य प्रतिष्ठानो के बीच निर्धारित सख्या मे एप्रन, ग्लव्स, मास्क एव कैप का वितरण अपने स्तर से सुनिश्चित करेगे।

8 श्रावणी मेला क्षेत्र अन्तर्गत चलत खाद्य प्रयोगशाला वाहनों की प्रतिनियुक्ति निम्नानुसार की जायेगी –

क्रम संख्या	प्रतिनियुक्ति करने वाले पदाधिकारी / सक्षम प्राधिकारी	मेला क्षेत्र	अवधि
1	असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर	भागलपुर जिलान्तर्गत मेला क्षेत्र	सपूर्ण मेला अवधि
2	असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णियाँ	बॉका जिलान्तर्गत मेला क्षेत्र	सपूर्ण मेला अवधि
3	असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गया	मुंगेर जिलान्तर्गत मेला क्षेत्र	सपूर्ण मेला अवधि
4	असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	बाबा गरीबनाथ धाम मेला क्षेत्र, मुजफ्फरपुर	प्रत्येक शनिवार से सोमवार तक।
5.	प्रभारी पदाधिकारी, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुऑ, पटना–07	बाबा हरिहर नाथ मदिर मेला क्षेत्र, सोनपुर, सारण	प्रत्येक सोमवार एव मगलवार को।
		बराबर शिव मंदिर मेला क्षेत्र, जहानाबाद	प्रत्येक शुक्रवार एव शनिवार को

9 उक्त वाहनो पर के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार तकनीकी मानबवलो, चालक, रसायन, ईधन आदि की व्यवस्था सबंधित सक्षम प्राधिकार के स्तर से सुनिश्चित की जायेगी।

10 श्रावणी मेला क्षेत्र अन्तर्गत खाद्य सरक्षा प्रशासन के नोडल पदाधिकारी के रूप मे सबधित जिला के अभिहित अधिकारी को नामित / प्राधिकृत किया जाता है।

11 उपरोक्त प्रस्ताव एव आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(धनंजय कुमार)
सरकार के अपर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 257(15B) दिनांक – 20/07/2026

प्रतिलिपि मानीय मत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि सचिव, स्वास्थ्य –सह– खाद्य सरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक बी०एम०एस०आई०सी०एल०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रमडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी/सभी खाद्य विश्लेषक, सयुक्त खाद्य एव औषधि प्रयोगशाला, अगमकुऑ, पटना–07 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी अभिहित अधिकारी, बिहार/सभी खाद्य संरक्षा अधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एव विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।